न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी बृजमोहन बैरवा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 38/2016

बउनवान

सरकार जर्ये थानाधिकारी पुलिस थाना अन्ता जर्ये जिला पुलिस अधीक्षक महोदय बारॉ
(सायल)

बनाम

प्रथमस्वरूप उर्फ पुरूषोत्तम पुत्र गणपतलाल जाति केवट निवासी रायपुरिया जिला बाराँ
(गैरसायल)

इस्तगासा अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा–3

उपस्थिति :– 1– अभियोजन अधिकारी (सायल)
2– श्री त्रिभुवन जैन अभिभाषक (गैरसायल)

निर्णय दिनांक 28.09.2021

वाक्यात मामला इस्तगासा इस प्रकार है कि गैरसायल प्रथमस्वरूप उर्फ पुरूषोत्तम पुत्र गणपतलाल जाति केवट निवासी रायपुरिया जिला बाराँ के विरूद्व जिला पुलिस अधीक्षक, बारॉ द्वारा राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत प्रेषित किया गया है।

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि गैरसायल के खिलाफ थानाधिकारी पुलिस थाना अन्ता ने जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, बारां को रिपोर्ट की है कि पुलिस थाना अन्ता जिला बारॉ क्षेत्र के अन्तर्गत गैरसायल आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है। यह व्यक्ति शराब तस्करी एवं मारपीट जैसी अवैधानिक गतिविधियों में संलिप्त है। इसके विरूद्व पुलिस थाना अन्ता में वर्ष 2000 से 2015 तक की अवधि में 04 आपराधिक प्रकरण (एक्साईज एक्ट 03) एवं 01 प्रकरण (भादस) के तहत दर्ज हुये है। जिनमें से भादस के प्रकरण में दोषमुक्त हुआ एवं 03 प्रकरणों में अन्तर्गत धारा 19/54 एक्साईज एक्ट में गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है। इसके विरूद्ध धारा 110 जा0फो0 के तहत इंसदादी कार्यवाही भी की जा चुकी है। फिर भी इसकी आपराधिक गतिविधियॉ जारी है तथा लगातार अपराधों की ओर अग्रसर हो रहा है। इसकी आम शौहरत भी ठीक नहीं है। इसका आम जनता में भय एवं आतंक बना हुआ है। इसके विरूद्ध कोई भी व्यक्ति रिपोर्ट करने अथवा गवाही देने से डरता है। इसकी इन आपराधिक गतिविधियों के कृत्य से लोक व्यवस्था एवं शांति को खतरा उत्पन्न हो रहा है। कानून व्यवस्था एवं लोकशान्ति को दृष्टिगत रखते हुये इसके क्रियाकलापों पर अंकुश लगाना आवश्यक है। अतः उपरोक्त समाजकंटक के विरूद्व राजस्थान गुण्डा अधिनियम के तहत कार्यवाही हेतु इस्तगासा प्रेषित कर विधिवत कार्यवाही करते हुए इसको जिले की सीमा से निष्कासन किया जावे।

इस प्रकार गैरसायल द्वारा आपराधिक कृत्य किये जाते हैं जिससे सार्वजनिक शांतिभंग होने से आम जनता में भय का वातावरण उत्पन्न होता है। गैरसायल को कुल 03 प्रकरणों में न्यायालय द्वारा दोष सिद्व ठहराया जाकर सजायाब किया जा चुका है। यह गुण्डा की परिभाषा में आता है। अतः इसके विरूद्व अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 धारा–3 के तहत कार्यवाही की जाकर इस्तगासा विरूद्व गैरसायल के पेश कर, उक्त आपराधिक कृत्य में मशगूल होने से गैरसायल को गुण्डा घोषित किया जाकर, उसे राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत जिले से निष्कासित करने के आदेश चाहे गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brij Mohan Bairwa
Date: 2022.03.14 16:30:52 IST
Reason: SelfAttested

इसके उपरांत गैरसायल के विरूद्व प्रस्तुत इस्तगासे को दिनांक 17.10.2016 को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा पुलिस द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे एवं साक्ष्य के सारगर्भित बिन्दुओं को दर्शाते हुए गैरसायल को आहूत किया गया तथा गैरसायल की जर्ये सम्मन तलबी की गई। गैरसायल द्वारा जर्ये अभिभाषक उपस्थिति दी गई। गैरसायल द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नहीं कर, प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण करवाने हेतु शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सहमति पत्र के माध्यम से जिला बदर की कार्यवाही में प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण करवाने हेतु निवेदन किये जाने पर, प्रकरण में गैरसायल का जवाब बन्द किया जाकर उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

दौराने बहस अभियोजन अधिकारी सरकार पक्ष का मुख्य कथन है कि गैरसायल के विरूद्व पुलिस थाना अन्ता में वर्ष 2000 से 2015 तक की अवधि में 04 आपराधिक प्रकरण (एक्साईज एक्ट 03) एवं 01 प्रकरण (भादस) के तहत दर्ज हुये है। जिनमें से भादस के प्रकरण में दोषमुक्त हुआ एवं 03 प्रकरणों में अन्तर्गत धारा 19/54 एक्साईज एक्ट में गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है। इसके विरूद्व 110 जा0फो0 के तहत इंसदादी कार्यवाही भी की जा चुकी है। फिर भी इसकी आपराधिक गतिविधियॉ जारी है तथा लगातार अपराधों की ओर अग्रसर हो रहा है। इसकी आम शौहरत भी ठीक नहीं है। इसका आम जनता में भय एवं आतंक बना हुआ है। इसके विरूद्ध कोई भी व्यक्ति रिपोर्ट करने अथवा गवाही देने से डरता है। इसकी इन आपराधिक गतिविधियों के कृत्य से लोक व्यवस्था एवं शांति को खतरा उत्पन्न हो रहा है। कानून व्यवस्था एवं लोकशान्ति को दृष्टिगत रखते हुये इसके क्रियाकलापों पर अंकुश लगाना आवश्यक है। अतः उपरोक्त समाजकंटक के विरूद्व राजस्थान गुण्डा अधिनियम के तहत कार्यवाही हेतु इस्तगासा प्रेषित कर विधिवत कार्यवाही करते हुए इसको जिले की सीमा से निष्कासन किया जावे।

गैरसायल के अभिभाषक द्वारा उपस्थित होकर जिला बदर की कार्यवाही में प्रकरण का अन्तिम रूप से निस्तारण करवाने हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि मैं गरीब व्यक्ति हूॅ। मैं मजदूरी करके अपने परिवार का पालन–पोषण करता हूँ। मेरे तारीख पेशी पर आने से उस दिन की मजदूरी भी छूट जाती है। अतः मैं स्वंय की सहमति से उक्त प्रकरण का जिला बदर होकर निस्तारण करवाना चाहता हूॅ। मेरे विरूद्व पुलिस थाना, अन्ता द्वारा गुण्डा एक्ट की कार्यवाही इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। जिसमें जिला बदर की कार्यवाही में मुझे पुलिस थाना, सीमलिया जिला कोटा किया जाकर प्रकरण का आज हीं अंतिम रूप से निस्तारण किया जावें। जिसमें मुझे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

अभियोजन अधिकारी पक्ष सरकार एवं गैरसायल के अभिभाषक की बहस सुनी तथा इस्तगासे में प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया गया। गैरसायल द्वारा प्रस्तुत सहमति पत्र पर विचार किया गया। गैरसायल के विरूद्व पुलिस थाना अन्ता में वर्ष 2000 से 2015 तक की अवधि में 04 आपराधिक प्रकरण (एक्साईज एक्ट 03) एवं 01 प्रकरण (भादस) के तहत दर्ज हुये है। जिनमें से 03 प्रकरणों में अन्तर्गत धारा 19/54 एक्साईज एक्ट के तहत गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है।

अतः उक्त समस्त तथ्यों के अनुसार यह साबित होता है कि प्रथमस्वरूप उर्फ पुरूषोत्तम पुत्र गणपतलाल जाति केवट निवासी रायपुरिया जिला बाराँ द्वारा उक्त अपराध किए गए है। जिसके आधार पर गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 2 (आ) की परिभाषा में आना पूर्णतया सिद्व है, क्योंकि धारा 2 (आ) के प्रावधान के अनुसार गैरसायल को 03 प्रकरणों में न्यायालय से सजायाब किया जा चुका है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brij Mohan Bairwa
Date: 2022.03.14 15:30:52 IST
Reason: SelfAttested

अतः गैरसायल प्रथमस्वरूप उर्फ पुरूषोत्तम पुत्र गणपतलाल जाति केवट निवासी रायपुरिया जिला बाराँ को सजायाबी रिकार्ड के आधार पर राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 (आ) के तहत गुण्डा घोषित करता हूॅ तथा राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 (3) (क) के प्रावधानों के अन्तर्गत बारां जिले के पुलिस थाना क्षेत्र अन्ता से 15 दिन के लिए गैरसायल को निष्कासित किये जाने का आदेश देता हूॅ।

गैरसायल प्रथमस्वरूप उर्फ पुरूषोत्तम पुत्र गणपतलाल जाति केवट निवासी रायपुरिया जिला बाराँ को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत पुलिस थाना अन्ता जिला बाराँ क्षेत्र से 15 दिन के लिए निष्कासित किया जाता है। गैरसायल उक्त अवधि में अपनी उपस्थिति प्रत्येक दिवस थानाधिकारी पुलिस थाना, सीमलिया जिला कोटा को देगा। इस अवधि में अपराधी ऐसा कोई आचरण नहीं करेगा, जो व्यक्तियों के प्रतिकूल एवं सामान्य व्यवहार संहिता के विरूद्व हो अर्थात् इस अवधि में पूर्ण सच्चरित्र रहेगा। किसी आपराधिक गतिविधि में भाग नहीं लेगा।

गैरसायल के विरूद्व यह आदेश दिनांक 14.10.2021 से प्रभावी होगा।

नियमानुसार तहरीरे जिला पुलिस अधीक्षक, बारां एवं थानाधिकारी पुलिस थाना सीमलिया, जिला कोटा को दी जावें। थानाधिकारी पुलिस थाना अन्ता जिलेा बारॉ को तहरीर दी जावे, जिसमें यह लिखा जावें कि गैरसायल को उक्त आदेश की पालना में जिले के पुलिस थाना अन्ता जिला बारॉ क्षेत्र से बाहर निष्कासित कर, थानाधिकारी पुलिस थाना सीमलिया, जिला कोटा के सुपुर्द कर, पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक **28.09.2021** को मेरे द्वारा सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली बाद तामील तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(बृजमोहन बैरवा)
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ

Signature Not Verified

Digitally signed by Brij Mohan Bairwa
Date: 2022.03.14 15:30:52 IST
Reason: SelfAttested